नियम 148 : अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध

कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्त्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा।